सत्यमेव जयते

न्यायालय मुख्य आयुक्त विकलांगजन

COURT OF CHIEF COMMISSIONER FOR PERSONS WITH DISABILITIES

विकलांगजन सशक्तिकरण विभाग / Department of Empowerment of Persons with Disabilities
सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय / Ministry of Social Justice and Empowerment
भारत सरकार / Government of India

केस संख्या: 6159 / 1012 / 2015 दिनांकः– 06.12. 2016

के मामले में

श्री कमलेश सांखला,
मुख्य प्रबंधक (वित्त एवं लेखा), DS90
साम्भर साल्ट लिमिटेड, सांभर लेक,
जिला – जयपुर – 303604 (राजस्थान) ..... शिकायतकर्ता

बनाम

इण्डियन मेडिसन्स फार्मास्यूटिकल्स कारपोरेशन लिमिटेड, DS91
(द्वारा) अध्यक्ष–सह–प्रबंध निदेशक,
मेहन, जिला – अल्मोडा, वाया रामनगर –244715
(उत्तराखण्ड) ..... प्रतिवादी

सुनवाई की तारीखः 14.10.2016

उपस्थितः

1. श्री कमलेश सांखला, शिकायतकर्ता ।
2. सर्वश्री पंकज कुमार झा, कंपनी सेक्रेटरी एवं श्री जे.एच. खान, अधिवक्ता प्रतिवादी की ओर से ।

आदेश

उपरोक्त शिकायतकर्ता, श्री कमलेश सांखला, 48 प्रतिशत अस्थिबाधित व्यक्ति ने निःशक्त व्यक्ति (समान अवसर, अधिकार संरक्षण और पूर्ण भागीदारी), अधिनियम, 1995, जिसे इसमें इसके पश्चात् अधिनियम कहा गया है, के तहत निःशक्तजन उम्मीदवारों को आयु सीमा में छूट न दिए जाने से संबंधित शिकायत दिनांक 30.03.2016 इस न्यायालय में दायर की ।

2. शिकायतकर्ता का कहना है कि जून, 2015 में इण्डियन मेडिसन्स फार्मास्यूटिकल्स कारपोरेशन लिमिटेड ने मुख्य प्रबंधक (वित्त एवं लेखा) के एक पद के लिए विज्ञप्ति निकाली थी जिसमें अधिकतम आयु सीमा 40 वर्ष तथा अनुसूचित जाति / जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग एवं शारीरिक विकलांगों के लिए आयु सीमा में छूट का प्रावधान भी था । प्रार्थी का आगे कहना है कि उनका जन्म दिनांक 02.06.1971 को हुआ था एव उनकी आयु 44 वर्ष पूर्ण हो गई है तथा अन्य पिछड़ा वर्ग एवं शारीरिक विकलांग श्रेणी से संबंध रखते हैं । उनके द्वारा आवेदन उचित माध्यम के द्वारा प्रेषित

....2 / –

सरोजिनी हाउस, 6, भगवान दास रोड, नई दिल्ली–110001; दूरभाषः 23386054, 23386154; टेलीफैक्स : 23386006
Sarojini House, 6, Bhagwan Dass Road, New Delhi-110001 ; Tel.: 23386054, 23386154 ; Telefax : 23386006
E-mail: ccpd@nic.in ; Website: www.ccdisabilities.nic.in
(कृपया भविष्य में पत्राचार के लिए उपरोक्त फाईल / केस संख्या अवश्य लिखें)
(Please quote the above file/case number in future correspondence)

किया गया था लेकिन दिनांक 17.02.2016 को उपरोक्त कंपनी द्वारा साक्षात्कार में उपस्थित होने के लिए पत्र नहीं भेजा गया तथा एक सूचना के अधिकार के माध्यम से यह ज्ञात हुआ कि उन्हे आयु सीमा अधिक होने के कारण साक्षात्कार हेतु आयोग्य पाया गया ।

3. मामला प्रतिवादी के साथ इस न्यायालय के पत्र दिनांक 06.06.2016 के द्वारा उठाया गया ।

4. प्रतिवादी ने अपने पत्र संख्या आई.एम.पी.सी.एल./स्था./2016– दिनांक 06.05.2016 द्वारा निवेदन किया कि इस निगम द्वारा दिनांक 17.06.2015 को मुख्य प्रबन्धक (वित्त एवं लेखा) –एक पद वेतनमान रूपए 24900–50500 (आई.डी.ए.पी.) दैनिक समाचारपत्रों में विज्ञापित किया गया था । कुल प्राप्त 21 आवेदनों में से संक्षिप्त सूची बनाने वाली समिति द्वारा 10 अभ्यर्थियों को साक्षात्कार हेतु चयनित किया गया, जिसमें श्री कमलेश सांखला की आयु अधिक होने से साक्षात्कार हेतु बुलावा पत्र जारी नहीं किया गया। वर्तमान में इस निगम में प्रबन्धक (मानव संसाधन एवं प्रशससन) का पद भी रिक्त है तथा भूलवश दिव्यांगजन श्रेणी का ध्यान नहीं रखा गया जिस कारणवश उनको बुलावा पत्र नहीं भेजा गया, जिसके लिए उन्हें अत्यन्त खेद है । न्यायालय को आश्वस्त किया जाता है कि भविष्य में इस तरह की चूक नहीं होने दी जाएगी ।

5. प्रतिवादी से प्राप्त उत्तर की प्रति शिकायतकर्ता को इस न्यायालय के पत्र दिनांक 13.07.2016 द्वारा उनके टिप्पण/रिज्वाइंडर हेतु भेजी गई ।

6. शिकायतकर्ता ने अपने रिज्वाइंडर दिनांक 21.07.2016 द्वारा निवेदन किया कि उपरोक्त मामले में इण्डियन मेडिसन्स फार्मास्यूटिकल्स कारपोरेशन लिमिटेड को आदेश दिया जाए कि संबंधित विज्ञप्ति के संबंध में जो भी कार्यवाही हुई है, को निरस्त कर पुनः संबंधित विज्ञप्ति के संबंध में कार्यवाही करें ।

7. प्रतिवादी के पत्र दिनांक 28.05.2016 एवं शिकायतकर्ता के रिज्वाइंडर दिनांक 21.07.2016 के मद्देनज़र सुनवाई 14.10.2016 को निर्धारित की गई ।

8. दिनांक 14.10.2016 को सुनवाई के दौरान शिकायतकर्ता ने अपने लिखित कथनो को दोहराया और निवेदन किया कि प्रतिवादी द्वारा उन्हें सरकारी दिशा–निर्देशों के अनुसार आयु–सीमा में छूट का लाभ नहीं दिया गया, जिसके कारण उन्हें साक्षात्कार के लिए नहीं बुलाया गया । यह दिव्यांगजन अधिनियम, 1995 तथा सरकारी दिशा–निर्देशों

....3/–

का उल्लंघन है । उन्होंने न्यायालय ने अनुरोध किया कि प्रतिवादी को आदेश दिया जाए कि संबंधित विज्ञप्ति के संबंध में जो भी कार्यवाही हुई है, उसे निरस्त कर रिक्त पदों को भरने संबंधी कार्यवाही पुनः की जाए जिससे शिकायतकर्ता को साक्षात्कार का अवसर प्राप्त हो सके ।

9. प्रतिवादी की ओर से उपस्थित होने वाले अधिवक्ता ने निवेदन किया उनके निगम द्वारा मुख्य प्रबन्धक (वित्त एवं लेखा) के पद की रिक्ति भरते समय भूलवश दिव्यांगजनों को आयु सीमा में छूट का लाभ प्रदान नहीं किया जा सका । ऐसा जानबूझकर नहीं किया गया । इसके लिए उन्हें अत्यन्त खेद है । इसी भूल के कारण शिकायतकर्ता को साक्षात्कार के लिए नहीं बुलाया जा सका । भविष्य में जब भी उनके स्तर के पद का विज्ञापन निगम द्वारा जारी किया जाएगा तो दिव्यांगजनों के लिए आयु–सीमा में छूट का जो प्रावधान है, उसे पूरी तरह से लागू किया जाएगा ।

10. दोनों पक्षकारो को सुनने और फाइल पर रखे गए अभिलेख का परिशीलन करने के पश्चात् न्यायालय ने यह पाया कि प्रतिवादी द्वारा भूलवश दिव्यांगजन श्रेणी का ध्यान नहीं रखा गया, जिस कारणवश शिकायतकर्ता को साक्षात्कार हेतु नहीं बुलाया जा सका, जिसके लिए उन्होंने अत्यन्त खेद प्रकट किया है । उन्होंने इस न्यायालय को आश्वस्त किया कि भविष्य में इस तरह की चूक नहीं होने दी जाएगी । प्रतिवादी ने यह भी निवेदन किया कि उनके निगम में प्रबन्धक (मानव संसाधन एवं प्रशासन) का पद भी रिक्त है । चूंकि प्रश्नगत पद पर नियुक्ति हो चुकी है, अतः प्रतिवादी को निर्देश दिया जाता है कि भविष्य में उनके निगम द्वारा रिक्तियों का भरने का विज्ञापन जारी करते समय कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग एवं सरकारी दिशा–निर्देशों का अनुपालन करें जिससे दिव्यांगजनों के हितों को कोई हानि न पहुंचे ।

11. उपरोक्त निर्देशों के साथ मामले का निपटारा किया जाता है ।

(डा. कमलेश कुमार पाण्डेय)
मुख्य आयुक्त निःशक्तजन